

FORM NO. III


फर्द अहकाम  
(नियम 25)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
कालुराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट  
सा. ठठाणा तह. कुचामन सिटी

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
तुलछाराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट वगै.  
सा. ठठाणा तह. कुचामन सिटी

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 0120/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
10.06.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी ने इसी अनुवान के वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम कनोजनगर के खसरा नम्बर 1082 रकबा 1.8060 हैक्टर भूमि के वाद पत्र में दर्शित परिशिष्ट 'क' मार्क एबीसीडी अनुसार खसरा नम्बर 1082 के 1/2 हिस्से में दखलंदाजी नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थी संख्या 1 विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm- (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
11/7/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपर्युक्त मुल वाद में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हो चुका है अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी पेश करी। मि.दि. 31/8/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Gm-</p>	
31/8/22	<p>उपपक्ष उपर्युक्त मुकाम तलबी व जवाब पेश करने हेतु दिहापत ही 2 रई मि.दि. 6/9/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Gm-</p>	
6/9/22	<p>उपपक्ष उपर्युक्त पूर्व आदेश की पालना करने हेतु दिहापत ही 3 रई मि.दि. 4/10/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Gm-</p>	

तारीख हुमना

नम्बर व ता  
अहकाम जो  
हुमना को ला  
गे जारी हुआ

11/10/22

अप पक्ष द्वारा बकाया की तलबी व  
अवकाश पेश करने हेतु पुनः डिफाय्ट की  
गई जिसे दि 15/11/22 को पेश हो

मे,

15/11/22

पत्रावली पेश हुई। कफ़लाय अग. पीएससीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से वापस  
बनारे हे पत्रावली दि 15/11/22 को  
पेश हो।

से

10/11/23

पत्रावली पेश हुई आश्रितवता प्रार्थी व प्रार्थी  
स्वयं को बार-बार आवाज दिलाई गई जिसे  
बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं।

धनः प्रार्थी का प्रार्थना- पत्र अदम  
हाजरी व अदम पैरकी में खालि किया  
जाता है पत्रावली कुलत शुमार होकर नम्बर  
से कम हो व बाकिल दफ्तर हो

मे

उपखण्ड अधिकारी  
नावां (नागौर)